



THE PLASTICS EXPORT
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल

(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या : Plex/Cir/321

तारीख: 21 जुलाई 2026

से

Plexconcil के सभी सदस्य / COA सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: भारत-UK कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट (CETA) के तहत टैरिफ रियायतों की पहली किश्त को लागू करने के संबंध में

संदर्भ: सीबीआईसी अधिसूचना संख्या 29/2026-सीमा शुल्क दिनांक 14 जुलाई 2026

हम आपको बताना चाहते हैं कि **फाइनेंस मिनिस्ट्री, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इंडिया-यूनाइटेड किंगडम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट (CETA) के तहत कस्टम ड्यूटी में छूट को लागू करने के लिए ऊपर दिया गया सर्कुलर जारी किया है।**

इस नोटिफिकेशन में **यूनाइटेड किंगडम से भारत में इंपोर्ट होने वाले एलिजिबल सामान पर लागू होने वाली प्रेफरेंशियल बेसिक कस्टम्स ड्यूटी (BCD), एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस (AIDC), हेल्थ सेस, और टैरिफ रेट कोटा (TRQs) तय किए गए हैं।** नोटिफिकेशन में एग्रीमेंट के तहत प्रेफरेंशियल टैरिफ ट्रीटमेंट पाने की शर्तें भी बताई गई हैं।

मुख्य बातें

- यह नोटिफिकेशन **15 जुलाई 2026** से लागू है।
- इंडिया-UK CETA के तहत आने वाली एलिजिबल टैरिफ लाइनों के लिए प्रेफरेंशियल टैरिफ रेट्स नोटिफाई कर दिए गए हैं।
- तरजीही टैरिफ लाभ का दावा करने वाले आयातकों को सीमा शुल्क (व्यापार समझौतों के तहत मूल के नियमों का प्रशासन) नियम, 2020 (CAROTAR, 2020) का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा और निर्धारित मूल नियमों की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।
- प्रेफरेंशियल टैरिफ ट्रीटमेंट सिर्फ उन सामानों के लिए उपलब्ध है जो एग्रीमेंट के प्रोविज़न और लागू रूल्स ऑफ़ ओरिजिन के अनुसार यूनाइटेड किंगडम के ओरिजिनेटिंग सामान के तौर पर क्वालिफ़ाई करते हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे यहां दिया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें:

https://membership.plasticsepc.org/emails_images/202607200514_36.pdf

यह आपकी जानकारी के लिए है।

आदर के साथ

भारती परावे

उप निदेशक (व्यापार और नीति)

प्लेक्सकौन्सिल